

**साहेबगंज समाहरणालय**  
**जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज**  
**समाहर्ता या समुचित सरकार**  
**प्रारंभिक अधिसूचना**  
**(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)**

एल0ए0 वाद संख्या 58 / 2018-19 / 733 / भू0अ0, साहेबगंज दिनांक 21.8.18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - हरदी, थाना-महाराजपुर, थाना सं0-21, अंचल-तालझारी, जिला-साहेबगंज में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना महाराजपुर-तालझारी-कल्यानचक-पड़रिया मोड़ तीनपहाड़ आर0ओ0बी0-बाकुडीह-शर्मापुर मोड़ पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूती करण कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवानियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किये गये है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-हरदी, थाना-महाराजपुर, थाना सं0-21, अंचल-तालझारी में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश-1.311 एकड़ यानि-हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नालिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखण्ड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30	240	रैयती	बाड़ी दोएम	0.029	रामशीध किस्कू वगै0 पिता- धनाए किस्कू वो बड़का किस्कू पिता - रामशीध किस्कू वगै0	सिवाना वेलवाथान	239	निज	रास्ता
2	2	37	रैयती	बाड़ी औवल	0.047	रावण सोरेन वगै0 पिता - मंडल सोरेन वगै0 सा0 - हरदी	रास्ता	38	रास्ता	निज
3	2	239	रैयती	बाड़ी दोएम	0.132	तथैव	240	236	निज	रास्ता
4	37	236	रैयती	धानी दोएम	0.095	सिंगराय मुर्मू वगै0 पिता - सावना मुर्मू वगै0 सा0 - अंगुडिया	239	235	निज	रास्ता
5	37	235	रैयती	धानी दोएम	0.017	तथैव	236	159	निज	रास्ता
6	4	168	रैयती	बाड़ी दोएम	0.085	सकल मुर्मू वगै0 पिता - विजय मुर्मू वगै0 सा0 - हरदी	169	167	निज	रास्ता
7	4	167	रैयती	बाड़ी औवल	0.106	तथैव	168	रास्ता	निज	रास्ता
8	4	165	रैयती	बाड़ी औवल	0.087	तथैव	रास्ता	रास्ता	निज	रास्ता
9	4	113	रैयती	बाड़ी दोएम	0.072	तथैव	रास्ता	सिवान परतियानाला	निज	रास्ता
10	17	14	रैयती	बाड़ी औवल	0.025	पीधो मुर्मू पिता - वास्ता मुर्मू वगै0 सा0 - अंगुडिया	वेलवाथान सिवान	रास्ता	रास्ता	निज
11	18	38	रैयती	बाड़ी दोएम	0.068	बालकी तुरी पिता - शुफल तुरी वगै0 सा0 - हरदी	37	रास्ता	रास्ता	निज
12	35	73	रैयती	धानी दोएम	0.086	संझली मरांडी पति - स्व0 सुन्दर हाँसदा वगै0 सा0 - फतेहपुर	रास्ता	74	रास्ता	निज
13	35	74	रैयती	धानी शोएम	0.051	तथैव	73	771	रास्ता	निज
14	35	169	रैयती	बाड़ी दोएम	0.044	तथैव	रास्ता	168	निज	रास्ता
15	15	71	रैयती	धानी शोएम	0.007	नारायण हाँसदा पिता - भोजिया हाँसदा वगै0 सा0 - हरदी	74	70	रास्ता	निज
16	15	70	रैयती	बाड़ी दोएम	0.020	तथैव	71	69	रास्ता	निज
17	21	69	रैयती	धानी शोएम	0.004	रेंधा सोरेन वगै0 पिता - बुदन सोरेन वगै0 सा0 - हरदी	70	66	रास्ता	निज
18	9	66	रैयती	बाड़ी दोएम	0.089	जोल्हा वास्की पिता - बहादूर वास्की वगै0 सा0 - हरदी	69	65	रास्ता	निज
19	9	65	रैयती	बाड़ी औवल	0.072	तथैव	66	रास्ता	रास्ता	निज
20	3	111	रैयती	बाड़ी औवल	0.137	बॉके सोरेन वगै0 पिता-स्व0 अर्जुन सोरेन वगै0 सा0 - हरदी	रास्ता	112	रास्ता	निज
21	3	112	रैयती	वाड़ी दोएम	0.038	तथैव	111	नाला	रास्ता	निज
<b>कुल रकवा -</b>					<b>1.311</b>					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-30/2013), की धारा-11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज और उनके कर्मचारियों ..... को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

21/8/18  
उपायुक्त,  
साहेबगंज।